उत्तराखण्ड शासन
सूचना अनुभाग–01
संख्या–291 /XXII(1)/2016–1(11)2015
देहरादूनः दिनांक 15 जून, 2016

3653 /2016 ... सू.व.लो.स.वि. ( )-2016

अधिसूचना/प्रकीर्ण

राज्यपाल उत्तराखण्ड इलैक्टॉनिक मीडिया विज्ञापन मान्यता नियमावली, 2015 व उक्त नियमावली के प्रथम संशोधन दिनांक 09 फरवरी, 2016, द्वितीय संशोधन दिनांक 25 मई, 2016 में अग्रेत्तर संशोधन किये जाने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है; अर्थात्

नियम–6 का संशोधन – मूल निमयावली में नियम–6 जो स्तम्भ–1 में दिये गये है के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
बिन्दु संख्या 06	**बिन्दु संख्या 06**
सूचीबद्धता के लिए मापदण्ड	**सूचीबद्धता के लिए मापदण्ड**
6 (2) (तेरह) सूचीबद्ध चैनल को विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले विज्ञापनों को निर्धारित दर पर प्रसारित किये जाने की बाध्यता होगी। यदि चैनल विभाग द्वारा दिये जाने वाले विज्ञापन प्रसारित करने से इन्कार करता है तो उसकी सूचीबद्धता बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द की जा सकती है।	–
	6 (2) (चौदह) सूचीबद्धता के लिए उपरोक्त मापदण्डो के कतिपय बिन्दुओं पर मा0 मुख्यमंत्री/विभागीय मंत्री उत्तराखण्ड स्वविवेक के आधार पर शिथिलता प्रदान करते हुए चैनल को सूचीबद्ध कर सकते है।

(विनोद शर्मा)
सचिव।

संख्या–291 (1) /XXII(1)/2016 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड।
3– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– आयुक्त कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
7– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8– महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9– एन.आई.सी. सचिवालय परिसर।

15.6.2016

(विनोद शर्मा)
सचिव।

Scanned by CamScanner